प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 25.02.2026

स्वाट, टीम अपराध शाखा एवं थाना मसूरी पुलिस द्वारा थाना मसूरी पर पंजीकृत अपरहण कर जान से मारने की धमकी देते हुए रंगदारी वसूलने की घटना के अभियोग मे वाँछित अभियुक्त / अनिल दुजाना व बलराम ठाकुर गैंग के सक्रिय सदस्य पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा व चोरी की मोटर साईकिल बरामद

दिनांकः 09/07/2025 को मसूरी (गाजियाबाद) के एक ट्रान्सपोर्टर को जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी वसूलने तथा दिनाँक- 13/07/25 को उक्त ट्रान्सपोर्टर का अपहरण कर बंधक बनाकर अवैध रूप से फिरौती लेने की घटना के सम्बन्ध मे थाना मसूरी पर मु0अ0स0-300/25 धारा-308(2) /140(2)/352/351(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग मे कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक-24/02/2025 को मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियोग मे लगातार वाँछित चल रहे अभियुक्त / कुख्यात अपराधी अनिल दुजाना व बलराम ठाकुर गैंग के सक्रिय सदस्य अब्बास उर्फ बाबू को स्वाट टीम, अपराध शाखा गाजियाबाद एवं थाना मसूरी पुलिस द्वारा नाहल चौराहे से मुरादनगर जाने वाले गंग नहर पटरी नीले पुल के पास थाना मसूरी क्षेत्र में बाद पुलिस मुठभेड घायल अवस्था मे गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 03 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा चोरी की के0टी0एम0 मोटर साइकिल बरामद की गयी है। अभियुक्त शातिर किस्म अपराधी है जिसके विरूद्ध करीब आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। घायल अभियुक्त को वास्ते उपचार सरकारी अस्पताल भेजा जा रहा है।

अवगत कराना है कि गिरफ्तार अभियुक्त के गैंग का सरगना तथा उक्त अभियोग मे वाँछित अपराधी बलराम ठाकुर पुत्र श्याम सिंह निवासी मौहल्ला रोगन थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर भी दिनाँक-20/09/2025 को स्वाट टीम, अपराध शाखा गाजियाबाद के साथ हुई मुठभेड मे ढेर किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/ पता-

1.अब्बास उर्फ बाबू पुत्र लियाकत अली निवासी ग्राम साँकनी थाना जहाँगीराबाद बुलन्दशहर उम्र करीब-29 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त अब्बास उर्फ बाबू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 79/2019 धारा 392/411 भादवि थाना गभाना जनपद अलीगढ।
2. मु0अ0सं0 134/2020 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना गभाना जनपद अलीगढ।

3. मु0अ0सं0 340/2019 धारा 304बी, 323, 498ए, भादवि व ¾ दहेज प्रतिषेध अधि0 थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

4. मु0अ0सं0 535/2019 धारा 395/412 भादवि थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।

5. मु0अ0सं0 655/2019 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।

6. मु0अ0सं0 679/2022 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

7. मु0अ0सं0 300/25 धारा 308(2)/140(2)/352/351(4) बी.एन.एस. थाना मसूरी पुलिस कमि0 गाजियाबाद।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1.स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.थाना मसूरी पुलिस टीम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार ।

दिनांक 24.02.2026 को थाना मोदीनगर पर वादी श्री रमाशंकर गुप्ता द्वारा तहरीर दी गई कि वादी के पुत्र मनोज व पुत्रवधु किरन द्वारा वादी व वादी की पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर देना व जान से मारने की नीयत से आग लगाने का प्रयास करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा-109(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात् थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्ता 1. किरन पत्नी मनोज कुमार निवासी हरमुखपुरी गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष व अभियुक्त 2. मनोज गुप्ता पुत्र रमाशंकर गुप्ता निवासी हरमुखपुरी गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 लोहे का दांव बरामद कर उपरोक्त अभियोग में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त मनोज ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरा पहला विवाह बलिया जनपद की रहने वाली एक लड़की से हुआ था जिससे हमें 01 पुत्र व 01 पुत्री हुये थे। मेरे पुत्र की मृत्यु हो गयी थी। मेरे माता-पिता लडका चाहते थे जिस कारण उनके द्वारा मेरा पहली पत्नी से तलाक कराकर बलिया जनपद से ही किरण से दूसरी शादी करा

दी थी जिससे हमें 03 पुत्रियाँ हुई । मेरे माता-पिता अक्सर लड़का न होने का ताना देकर दूसरी पत्नी से भी तलाक कराने का दबाव बनाने लगे तथा घर में रहने का विरोध करते थे । आये दिन झगड़ा होता रहता था । दिनांक 24.02.2026 को मेरे माता-पिता ने घर में लगी एलईडी टीवी को बच्चों के देखने के कारण नाराज होकर तोड़ दी थी । शाम को मैं घर आया तो बच्चे सुबह से खाना नहीं खाए थे । इसी बात को लेकर हमारा आपस में झगड़ा हो गया था और मैंने आवेश में आकर अपने माता-पिता पर हमला कर दिया था ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. किरन पत्नी मनोज कुमार निवासी 246 हरमुखपुरी गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष ।
2. मनोज गुप्ता पुत्र रमाशंकर गुप्ता निवासी 246 हरमुखपुरी गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त 01 लोहे का दांव बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम ।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 20.12.2025 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त गुलजार उर्फ काला निवासी ग्राम चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद द्वारा वादी की साली के साथ मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा- 115(2)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । जिसके उपरान्त वादी की साली का दौराने उपचार मृत्यु हो जाना जिसके आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 105/333 बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी जिसमें 01 अन्य अभियुक्त यासीन पुत्र अब्बास निवासी ग्राम चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद का नाम भी प्रकाश में आया । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात् आज दिनांक 25.02.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. गुलजार उर्फ काला पुत्र इसरार उर्फ लाला उम्र करीब 27 वर्ष 2. यासीन पुत्र अब्बास निवासीगण ग्राम चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष को थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि वादी की साली हमारे पड़ोस में समारोह मे आयी थी उससे हमारी कहासुनी हो गयी जिससे हम दोनों ने गुस्से में आकर उसके साथ मारपीट कर दी थी तथा उसके सिर में चोट आयी थी जिससे उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. गुलजार उर्फ काला पुत्र इसरार उर्फ लाला निवासी ग्राम चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष
2. यासीन पुत्र अब्बास निवासी ग्राम चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना भोजपुर पर फर्जी तरीके से फर्जी पतों पर पासपोर्ट बनाने के सम्बन्ध मे पंजीकृत अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक-01.02.2026 को थाना भोजपुर पर मु0अ0स0-23/26 धारा-61(2)/318(4)/ 338/336 (3)/340(2) BNS व 66 IT ACT पंजीकृत किया गया था जिसमे फर्जी पतों पर अवैध रूप से 22 व्यक्तियों के विरूद्ध पासपोर्ट निर्गत किये जाने के आरोप अंकित है। प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अभियोग की विवेचना को अपराध शाखा स्थानान्तरित किया गया।

विवेचना मे अब तक कुल 07 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पूर्व मे की जा चुकी है । आज दिनांक- 25/02/2026 को स्वाट टीम, अपराध शाखा व विवेचक द्वारा उक्त अभियोग में अभियुक्त हजमीत उर्फ रजमीत पुत्र बिशन सिंह को दिल्ली के टैंक रोड, करोल बाग से गिरफ्तार किया गया जिसके द्वारा स्वंय का व अपने परिवार (पत्नि व बच्चो सहित) कुल 05 पासपोर्ट फर्जी पतों व फर्जी अभिलेखो के आधार पर तैयार कराये गये है ।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर अभियुक्त हजमीत उर्फ रजमीत द्वारा बताया गया कि वह विगत 15 वर्षो से दिल्ली मे किराये के अलग-अलग पतों पर निवास कर रहा है, बार-बार निवास परिवर्तन होने के कारण उसका पासपोर्ट नही बन पा रहा था जबकि वह स्वंय दुबई जाकर नौकरी करना चाह रहा था इस लालच मे उसके रिश्तेदार कुलवीर जो लन्दन मे रहता है उसके माध्यम से मुस्ताक अहमद निवासी डीडीए कालोनी ख्याला दिल्ली से सम्पर्क किया तो मुस्ताक ने प्रति पासपोर्ट 01 लाख 20 हजार रुपये की माँग की । हजमीत उर्फ रजमीत द्वारा मुस्ताक को कुल 6 लाख रुपये नगद भुगतान किये गये, मुस्ताक द्वारा हजमीत उर्फ रजमीत व उसके परिवार के 05 सदस्यों के भोजपुर गाजियाबाद के फर्जी पतों पर आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, बैंक पासबुक आदि दस्तावेज तैयार कराये गये । मुस्ताक द्वारा वर्ष 2025 के नवम्बर माह की अलग-अलग तिथि को हजमीत उर्फ रजमीत, उसकी पत्नी व उसके बच्चों को पासपोर्ट सेवा केन्द्र मेहरौली दिल्ली ले जाया गया जहाँ उसकी पहले से ही साँठ-गाँठ थी । सत्यापन के उपरान्त हजमीत उफ रजमीत के कुल 05 पासपोर्ट निर्गत किये गये परन्तु इसी दौरान उक्त पासपोर्ट का फर्जीवाडा उजागर होने के कारण पासपोर्ट निरस्त हो गये जिससे मुस्ताक ने सभी 5 पासपोर्ट हजमीत उर्फ रजमीत से वापस ले लिये।

पूछताछ के आधार पर उक्त अभियोग में अब तक मुस्ताक अहमद मुख्य सरगना के रूप मे प्रकाश मे आया है जिसकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे टीमें बनाकर लगातार दबिशे दी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

हजमीत उर्फ रजमीत पुत्र बिशन सिंह निवासी बी-19 एसएफ फतेहनगर तिलकनगर दिल्ली उम्र करीब 35 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

1.आधार कार्ड व पेन कार्ड अभियुक्त हजमीत उर्फ रजमीत

2.आधार कार्ड व पेन कार्ड जसप्रीत कौर (अभियुक्त हजमीत उर्फ रजमीत की पत्नी)

3.मोबाइल फोन एप्पल कम्पनी – 01

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना भोजपुर पर उक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत चलाये जा रहे अभियान मे सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 नाजायज पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन , 04 जिन्दा कारतूस व 01 सफेद रंग की ब्रेजा कार बरामद ।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) के नेतृत्व में स्वाट टीम, अपराध शाखा व थाना सिहानीगेट पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 25.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सिहानीगेट क्षेत्र से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गयी, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 नाजायज पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन, 04 जिन्दा कारतूस .32 बोर व एक सफेद रंग की ब्रेजा कार बरामद की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही थाना सिहानीगेट से की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त अजमल ने पूछताछ करने पर बताया कि वह मूल रूप से डासना गाजियाबाद का रहने वाला है। उसने बी0बी0ए0 की पढाई की हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उसको असलहा रखने का शौक है इसीलिए उससे बरामद दोनो पिस्टल व कारतूसों को उसने शुभ चौधरी निवासी सैक्टर 23, संजय नगर गाजियाबाद से खरीदा था, उसने ये पिस्टल कारतूस हवाबाजी व शौक के लिये खरीदी थी। अभियुक्त ने बताया कि जब भी वह अपने दोस्तो के साथ किसी शादी समारोह या अन्य किसी समारोह में जाता है तो वहाँ भी उसके द्वारा दिखावे के रूप में उक्त असलहों का प्रदर्शन कर हर्ष फायर किये जाते है।

अभियुक्त का नाम व पता

1.अजमल अली पुत्र आजाद अली निवासी वार्ड न0 12 रफीकाबाद कालोनी डासना थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास – अभियुक्त अजमल के विरुद्ध उक्त के सम्बन्ध में थाना सिहानीगेट पर मु0अ0स0-74/2026 धारा-3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1.नाजायज पिस्टल .32 बोर मय मैगजीन – 02

2.नाजायज जिन्दा कारतूस .32 बोर- 04

3.सफेद रंग की ब्रेजा कार रजिस्ट्रेशन नम्बर- UP 14FJ 7399

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.थाना सिहानीगेट पुलिस टीम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।